संख्या-47/2018/967/71-1-2018-जी-555/2012

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 15 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, झॉसी में 500 बेडेड अस्पताल के विस्तारीकरण हेतु अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2017-18/3680, दिनॉक 06-02-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, झॉसी के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-1114/71-1-2013-जी-555/2012, दिनॉक 06-06-2013 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 13798.11 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा अब तक कुल रू0 12377.25 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	1114/71-1-2013-जी-555/2012, दिनॉक 06-06-2013	960.00
2	872/71-1-2014-जी-555/2012, दिनॉक 25-03-2014	1540.00
3	12/2813/71-1-2014-जी-555/2012, दिनॉक 26-09-2014	3505.97
4	72/2913/71-1-2014-जी-555/2012, दिनॉक 29-12-2014	1478.28
5	193/2015/2510/71-1-2015-जी-555/2012, दिनॉक 03-12-2015	3000.00
6	61/2016/848/71-1-2016-जी-555/2012, दिनॉक 28-03-2016	636.30
7	177/2016/2090/71-1-2016-जी-555/2012, दिनॉक 08-08-2016	1196.70
	योग-	**12377.25**

2- आपके उक्त पत्र दिनॉक 06-02-2018 के क्रम में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, झॉसी में 500 बेडेड अस्पताल के विस्तारीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में मेडिकल कालेज, झॉसी के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 3,50,00,000/- (रू0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक की होगी।
4- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 03-08-2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक /प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7- शासनादेश संख्या-1114/71-1-2013-जी-555/2012, दिनॉक 06-06-2013 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।
8- प्रश्नगत कार्य का हरकोर्ट प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा थर्ड पार्टी आडिट रिपोर्ट में उल्लिखित आपत्तियों का निराकरण करके उसकी रिपोर्ट शासन को 01 माह में उपलब्ध करायी जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-42-राजकीय मेडिकल कालेज, झॉसी-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव।

संख्या:- 47/2018/967(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, झाँसी।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज झाँसी।
5- कोषाधिकारी, झाँसी।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- नियोजन अनुभाग-4/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल। आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।